न्यायालय— अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम— 01 छबडा जिला बारां राज0		
पीठासीन अधिकारी	—	**संयोगिता, आर.जे.एस.**
नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या	—	**713/2016**
सीआईएस नंबर	—	**3771/2016**
सीएनआर नंबर	—	RJBR070006682016

निर्णय की तारीख 24.03.2026

(प्र.सू.रि./अपराध और पुलिस थाने का विवरण— पुलिस थाना छबड़ा की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **320/2016** अपराध अंतर्गत धारा 279, 337, 338 भा0दं0सं0)

परिवादी	राजस्थान राज्य जरिए अभियोजन अधिकारी
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रवि किशोर जोनवाल
अभियुक्त	**राकेश कुमार पुत्र बाबूलाल उम्र 31 वर्ष निवासी श्यामपुरा थाना छबडा, तहसील छबडा जिला बारां राज.**
प्रतिनिधित्व द्वारा	**श्री देवेन्द्र कुमार मेहता, विद्वान अधिवक्ता**

अपराध की तारीख	01.06.2016
प्रथम सूचना कायमी की तारीख	17.06.2016
आरोप पत्र की तारीख	16.07.2016
आरोप विरचना की तारीख	03.04.2019
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	25.01.2024
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	24.03.2026
निर्णय तारीख	24.03.2026
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	—

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त क्रम	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	आरोपित दण्डादेश	धारा 428 द0प्र0सं0 के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गयी निरोध की अवधि
1	राकेश कुमार	निल	निल	279, 337, 338 भा0दं0सं0	दोषमुक्त	निल	निल

<u>अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची</u>

(क)अभियोजन—

साक्षी क्रम	नाम	साक्ष्य की प्रकृति

(Rank)		(चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
PW–1	शांतिबाई	शिकायतकर्ता/आहत/ताईदकर्ता नक्शा मोका
PW–2	शिव कुमार	चिकित्सकीय साक्षी
PW–3	भगवान सिंह	पुलिस साक्षी
PW–4	बबलू	ताईद जवाब नोटिस 133 एमवीएक्ट
PW–5	रामकरण	अनुसंधानकर्ता

(ख)प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो–

साक्षी कम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

(ग) न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो–

साक्षी कम (Rank)	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल	निल	निल

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयनी प्रदर्शों की सूची

(क)अभियोजन–

क.सं.	प्रदर्श	विवरण
1	P1	पुलिस बयान गवाह शांतिबाई
2	P2	तहरीर रिपोर्ट
3	P3	चाक एफआईआर
4	P4	नक्शा मोका
5	P5	चोट प्रतिवेदन आहत शांतिबाई
6	P6	एक्सरे फिल्म एवं फर्द जब्ती मोटरसाइकिल
7	P7	एक्सरे फिल्म

8	P8	एक्सरे रिपोर्ट
9	P9	मेकेनिकल मुआयना रिपोर्ट

(ख)प्रतिरक्षा प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

(ग)न्यायालय प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

(घ)वस्तु प्रदर्श–

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
निल	निल	निल

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक– 24.03.2026</u>

01– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 17.06.2016 को फरियादिया शांतिबाई ने उपस्थित पुलिस थाना छबड़ा होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 01.06.2016 को वह अपने पति संग ईंट भटटों से मजदूरी करके शाम के 7–8 बजे के लगभग घर पर आ रही थी कि अचानक रेलवे फाटक के पास एक मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर आरजे 28 एसएम 8395 के मालिक राकेश पुत्र बद्रीलाल ने उसे सामने से टक्कर मार दी। उसके हाथ पैर व सीने की पसली में चोट आई। उसको उसका पति छबडा अस्पताल में ले गया जहां हालत गंभीर होने के कारण बारां रेफर कर दिया। वहां ईलाज के दोरान हाथ पैर व पसली में फेक्चर बताया गया...........इत्यादि।

02– उक्त पर्चा बयान के आधार पर पुलिस थाना **छबड़ा** में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. **320/2016** अपराध अंतर्गत धारा **279, 337 भारतीय दंड संहिता** में दर्ज किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त **राकेश कुमार** के विरूद्ध धारा **279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता** में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर उक्त अपराध की धाराओं में आरोप पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जिस पर इस न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा **279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता** के अपराध में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण नियमित फौजदारी प्रकरण के रूप में दर्ज रजिस्टर किया गया। तत्पश्चात अभियुक्त को धारा **279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता** का आरोप सारांश मौखिक रूप से सुनाया व समझाया गया, जिसे सुन समझकर

अभियुक्त ने अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

03— दौराने अन्वीक्षा अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी0ड0 1 लगायत पी ड0 5 के बयान लेखबद्ध कराये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 लगायत पी 9 को प्रदर्शित कराया गया।

04— बाद साक्ष्य अभियोजन अभियुक्त को धारा 313 द0प्र0सं0 के तहत परीक्षित कराया गया, जिसमें अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य को गलत होना जाहिर किया और साक्ष्य सफाई पेश करने से इन्कार किया जिस पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

05— बहस अंतिम उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया गया ।

06— बहस के दौरान विद्वान अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष अपना मामला अभियुक्त के विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध कर कठोर दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

07— जबकि अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि प्रकरण में अभियुक्त को झूठा फंसाया गया है। हस्तगत प्रकरण में दुर्घटना कारित अभियुक्त के वाहन से नहीं हुई है और न ही अभियुक्त ने हस्तगत प्रकरण की घटना कारित की है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर पाया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

08— उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में विनिश्चय हेतु निम्न अवधार्य बिंदु पर इस न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है कि —

01. क्या अभियुक्त ने दिनांक 01.06.2016 को शाम के करीब 7.00—8.00 बजे रेलवे फाटक छबडा पुलिस थाना छबड़ा में आम रास्ते पर वाहन मोटरसाइकिल रजि. नंबर आर. जे. 28 एस.एम. 8395 को उतावलेपन, उपेक्षापूर्वक व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन

संकटापन्न कारित कर फरियादिया/आहता शांतिबाई को टक्कर मार दी जिससे शांतिबाई के शरीर पर साधारण एवं गंभीर चोटें आयी ?

02. यदि हां, तो अभियुक्त का उचित दंड क्या होगा ?

09— उक्त अवधार्य बिन्दु के निस्तारण किये जाने हेतु न्यायालय को निम्न बिंदुओं पर विनिश्चय किया जाना आवश्यक है।

i)— आया वक्त दुर्घटना, दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था ?

ii)— आया दुर्घटना, कथित दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के द्वारा ही कारित की गई ?

iii)— आया वक्त दुर्घटना चालक द्वारा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन को उपेक्षा व लापरवाही पूर्वक चलाया जाकर दुर्घटना कारित की गई ?

iv)— आया आहता को साधारण तथा गंभीर प्रकृति की चोटें दुर्घटना के फलस्वरूप कारित हुई ?

10— उपरोक्त विचारणीय बिंदु के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 फरियादिया शांतिबाई द्वारा दिनांक 17.06. 2016 को प्रस्तुत कर दुर्घटना मोटरसाइकिल नम्बर आरजे 28 एसएम 8395 को राकेश के द्वारा लापरवाही व तेज गति से चलाया जाकर कारित किया जाना अंकित किया है तथा वक्त घटना अपने पति हीरालाल का घटना स्थल पर मोजूद होना बताया। उक्त रिपोर्ट में फरियादी द्वारा घटना दिनांक 01.06.2016 की बताते हुए लगभग 16 दिन उपरांत प्रस्तुत की गई है तथा यह अंकन नही किया है कि फरियादिया वक्त दुर्घटना पैदल अथवा किसी वाहन से जा रही थी। इस प्रकार उसने यह स्पष्ट नही किया है कि उसे मोटरसाइकिल से कथित टक्कर पेदल जाते हुए मारी गई अथवा किसी वाहन पर जाते हुए मारी गई।

11— उक्त फरियादिया शांतिबाई को अभियोजन ने पीडब्लू 1 के रूप में परिक्षित करवाया है। जो कि मुख्य परीक्षण में कथन करती है कि श्यामपुरा के राकेश ने मोटरसाइकिल से उसका एक्सीडेंट किया था। वह मोटरसाइकिल के नम्बर भूल गई। राकेश प्लांट से मोटरसाइकिल से आ रहा था। उसके पैर व हाथ में चोट आई थी। अभियोजन अधिकारी के निवेदन पर पक्षद्रोही घोषित किये जाने के उपरांत किये गये प्रतिपरीक्षण में गवाह पुलिस बयान प्रदर्श पी 1 पर ए से बी स्थान पर अंकित मोटरसाइकिल के नम्बर सही होना बताती है तथा तहरीर रिपोर्ट

प्रदर्श पी 2, चाक एफआईआर प्रदर्श पी 3 एवं नक्शा मोका प्रदर्श पी 4 पर ए से बी स्थान पर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित करती है। वह यह स्वीकार करती है कि राकेश शराब पीकर लापरवाही से गाडी चला रहा था। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा किये गये प्रतिपरीक्षण में वह यह स्वीकार करती है कि वह राकेश को नही जानती है। उसे पता नही है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ था। मुलजिम शराब पीकर गाडी चला रहा हो तो यह बात उसके बयानों में अंकित नही है। मुलजिम कैसे गाडी चला रहा था, एक्सीडेंट कैसे हुआ, गवाह इस बाबत कोई जानकारी होने से इंकार करती है। इस प्रकार गवाह द्वारा साक्ष्य में इस आशय के कोई कथन नही किये गये है कि वक्त घटना उसका पति हीरालाल मोजूद हो और उसके द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया हो जबकि फरियादिया द्वारा तहरीर रिपोर्ट में इस बाबत अंकन किया गया है। इस प्रकार चश्मदीद गवाह हीरालाल की घटना स्थल पर मोजूदगी बाबत कथनों का लोप अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिससे कि फरियादिया के पति हीरालाल की वक्त दुर्घटना घटना स्थल पर मोजूदगी संदेहास्पद है। उक्त गवाह हीरालाल बार–बार तलब किये जाने पर भी बिना किसी समुचित कारण के साक्ष्य में परीक्षण हेतु उपस्थित नही हुआ है। जिससे भी इस तथ्य की पुष्टि नही हो सकी है कि उक्त हीरालाल द्वारा मोके पर मोजूद होकर घटना देखी गई हो।

12– गवाह पीडब्लू 4 बबलू को जब्तशुदा मोटरसाइकिल के मालिक के रूप में परीक्षित कराया गया है जो कि नोटिस प्रदर्श पी 5 पर ए से बी स्थान पर जवाब स्वयं द्वारा अंकित करना तथा जब्तशुदा मोटरसाइकिल को वक्त दुर्घटना अपने भाई राकेश द्वारा चलाया जाना बताता है। प्रतिपरीक्षण में गवाह जाहिर करता है कि दिनांक 01.06.2016 को उसकी गाडी को कोन चला रहा था उसकी जानकारी में नही है। इस प्रकार उक्त गवाह द्वारा स्वयं ही अपने मुख्य परीक्षण के कथनों का खण्डन किया गया है।

13– अनुसंधान अधिकारी रामकरण पीडब्लू 5 बयानात गवाहान एवं जवाब नोटिस 134 एमवीएक्ट के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने की पुष्टि करता है। प्रतिपरीक्षण में वह यह स्वीकार करता है कि घटना स्थल रेलवे फाटक है। हीरालाल फरियादिया का पति है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 6 में जब्ती स्थल थाना बता रखा है तथा उसके दोनों गवाहान पुलिस कर्मचारी है। घटना की दिनांक 01.06.2016 और एफआईआर दर्ज दिनांक 17.06.2016 में 16–17 दिन का अंतर है।

14— गवाह पीडब्लू 2 भगवान सिंह एफआईआर दर्जकर्ता एक ओपचारिक गवाह मात्र है। उपरोक्त समस्त साक्ष्य का अवलोकन करने से न्यायालय के समक्ष यह स्थिति उजागर होती है कि फरियादिया कथित दुर्घटना दिनांक 01.06.2016 को कारित होना बताती है जबकि उसके द्वारा रिपोर्ट प्रदर्श पी 2 दिनांक 17.06.2016 को प्रस्तुत की गई है। इस बाबत उसके द्वारा यह स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है कि उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे अस्पताल छबडा से बारां रेफर कर दिया गया था। जहां पर वह हाथ, पैर व पसली में फ्रेक्चर होने से ईलाजरतः थी। उल्लेखनीय है कि उक्त स्पष्टीकरण फरियादिया द्वारा केवल मात्र तहरीर रिपोर्ट में अंकित किया गया है। साक्ष्य में परीक्षित होकर फरियादिया द्वारा इस बाबत कोई कथन नही किये गये है। यदि उक्त स्पष्टीकरण की सत्यता का परीक्षण किया जावे तो जाहिर आता है कि फरियादिया द्वारा दिनांक 01.06.2016 को छबडा में ईलाज करवाने अथवा उसे बारां रेफर किये जाने बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गये है। फरियादिया का बारां में ईलाज चला हो तो इस आशय के दस्तावेज भी अभिलेख पर प्रस्तुत नही किये गये है। अनुसंधान अधिकारी पीडब्लू 5 रामकरण द्वारा भी फरियादिया के दिनांक 01.06.2016 को छबडा अस्पताल में अथवा तदुपरांत बारां में ईलाजरतः होने की पुष्टि में कोई अनुसंधान किया जाना जाहिर नही आता है। फरियादिया के जो चोट प्रतिवेदन एवं एक्सरे बाबत दस्तावेज चिकित्सकीय साक्षी शिव कुमार अग्रवाल पीडब्लू 2 द्वारा प्रमाणित किये गये है उक्तानुसार फरियादिया का मेडिकल मुआयना दिनांक 17.06.2016 को किया गया है तथा चोटों की अवधि 48 घंटों के भीतर की बताई गई है। अर्थात् उक्त रिपोर्ट अनुसार दुर्घटना के दिवस दिनांक 01.06.2016 के लगभग 16 दिन बाद कराये गये मेडिकल मुआयने उपरांत आहत को आई चोटें दो दिवस के भीतर कारित होना पाई गई है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत फरियादिया की साक्ष्य एवं चिकित्सकीय साक्ष्य परस्पर विरोधाभासी है तथा इस तथ्य पर गंभीर संदेह उत्पन्न करती है कि फरियादिया को चोटें दिनांक 01.06.2016 को कारित हुई हो।

15— जहां तक अभियुक्त द्वारा वक्त दुर्घटना जब्तशुदा मोटरसाइकिल को चलाये जाने का प्रश्न है तो फरियादिया द्वारा घटना के 16 दिन उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध रिपोर्ट पेश की है। अभियुक्त को श्यामपुरा का निवासी होना बताया है जबकि फरियादिया श्रीराम नगर छबडा की निवासी है। फरियादिया ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि वह राकेश को नही जानती। उक्त परिस्थितियों में वक्त

दुर्घटना फरियादी को अभियुक्त की पहचान किस प्रकार हुई, ऐसे कोई आधार तहरीर रिपोर्ट अथवा साक्ष्य में जाहिर नही किये गये है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी फरियादिया एवं उसके पति हीरालाल के अलावा अन्य किसी गवाह के न तो दोराने अनुसंधान बयान लिये गये है एवं न ही ऐसे कोई प्रमाण अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये है जिससे यह जाहिर आता हो कि फरियादिया के बयानों के अतिरिक्त अभियुक्त के विरूद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के कोई ठोस आधार रहे हो। जब्तशुदा मोटरसाइकिल के मालिक द्वारा प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट किया गया है कि कथित दुर्घटना के दिवस उक्त वाहन को कोन चला रहा था उसे जानकारी नही है। जिससे कि फरियादिया द्वारा अभियुक्त का नाम लिखवाया जाना पश्चातवर्ती सोच का नतीजा होना जाहिर आता है। इसके अतिरिक्त दुर्घटना जब्तशुदा मोटरसाइकिल द्वारा ही कारित हुई हो अथवा मोटरसाइकिल को लापरवाही से चलाया गया हो तो ऐसे कोई साक्ष्य अभिलेख पर मोजूद नही है। स्वयं फरियादिया अनुसार उसे यह जानकारी नही है कि मोटरसाइकिल को कैसे चलाया जा रहा था और एक्सीडेंट कैसे हुआ। फर्द जब्ती प्रदर्श पी 6 में जब्ती स्थल थाना छबडा है जो कि दस्तावेज अभियोजन की किसी प्रकार मदद नही करता।

16— इसके अलावा अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत अन्य दस्तावेज अभियोजन पक्ष की कहानी को प्रमाणित करने में उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं करते। इन सब के अलावा रिकॉर्ड पर ऐसी कोई अन्य साक्ष्य या सामग्री उपलब्ध नहीं है जो अभियोजन पक्ष की कहानी या पक्षकथन की किसी प्रकार से पुष्टि करती हो।

17— अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियोजन पक्ष अपने द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध यह साबित नहीं करा पाया है कि **अभियुक्त ने दिनांक 01.06. 2016 को शाम के करीब 7.00—8.00 बजे रेलवे फाटक छबडा पुलिस थाना छबड़ा में आम रास्ते पर वाहन मोटरसाइकिल रजि. नंबर आर. जे. 28 एस.एम. 8395 को उतावलेपन, उपेक्षापूर्वक व लापरवाही से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित कर फरियादिया/आहता शांतिबाई को टक्कर मार दी जिससे शांतिबाई के शरीर पर साधारण एवं गंभीर चोटें आयी।** अतः अभियुक्त **राकेश कुमार** को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा **279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता** में संदेह का लाभ दिया दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

18– अतः **अभियुक्त राकेश कुमार** पुत्र बाबूलाल उम्र 31 वर्ष निवासी श्यामपुरा थाना छबडा, तहसील छबडा जिला बारां राज. को अपराध अंतर्गत धारा **279, 337, 338 भारतीय दंड संहिता** के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा पूर्व में इस न्यायालय में पेश जमानत मुचलके निरस्त किये जाते है।

19– अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10–10 हजार रूपये के जमानत मुचलके न्यायालय के समक्ष पेश कर तस्दीक करायेगा जो कि बाद कराने तस्दीक आगामी 06 माह की अवधि तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम– 01 छबडा जिला बारां राज.

20– आदेश आज दिनांक **24.03.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(संयोगिता)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
क्रम– 01 छबडा जिला बारां राज.